संख्या- 197 /2026 / 2190 /चार-2026- 1712410

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः

लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन (मथुरा) को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **प्रथम किश्त** की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-888/सं0नि0-20(12-वृ0शो0सं0)/2020-24 दिनांक 10 जुलाई, 2026 एवं निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा के पत्र संख्या- VI/उ0प्र0/गैर-वेतन/ वृ0शो0सं0 /2026-27/ 163 दिनांक 10 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर वेतन मद के अंतर्गत संस्थान को स्वीकृत बजट के सापेक्ष निम्नानुसार कार्य योजना पर अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर वेतन मद की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

वार्षिक कार्य योजना

वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन (मथुरा) को वर्ष 2026-27 में गैर वेतन बजट प्रावधान रू0 50.00 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों की वार्षिक कार्य योजना।

मद	प्रस्तावित कार्य	बजट
शोध एवं प्रकाशन	वर्ष 2026-27 में निम्न शोधपरक प्रकाशन प्रकाशित किए जाएंगे:- 1. वृन्दावन के घाट (संस्थान संग्रह एवं वाह्य स्थलों की पांडुलिपियों पर आधारित अध्ययन, स्थलीय सर्वेक्षण एवं प्रकाशन का कार्य। 2. बंगला कैटलॉग भाग-1 का प्रकाशन । 3. पांडुलिपियों की 'कखग' के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य एवं प्रकाशन 4. बंगला पांडुलिपि 'अमृत मंजरी' का प्रकाशन कार्य (देबोपम दास) 5. हरिनामामृत व्याकरण सूचीकरण एवं प्रकाशन (डॉ. राधा ब्लिंदरमान एवं श्रीमती प्रगति शर्मा) 6. संस्कृत कैटलॉग भाग-1 का संशोधित संस्करण प्रकाशन कार्य 7. शिक्षाष्टक गोष्ठी के शोध-पत्रों का संकलन, सम्पादन एवं प्रकाशन 8. ब्रज सलिला पत्रिका के 04 अंकों का प्रकाशन 9. संस्थान के न्यूज लैटर का प्रकाशन (12 अंक) 10. ब्रोशर का प्रकाशन	रू0 12.00 लाख
पांडुलिपि एवं संदर्भ	इस मद के अन्तर्गत संस्थान के पाण्डुलिपि व संदर्भ पुस्तकालय की पुस्तकों का सूचीकरण, कैटलॉगिंग तथा कार्ड तैयार करने, संगृहीत पाण्डुलिपियों	रू0 5.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुस्तकालय सूचीकरण एवं विकास	की विस्तृत कैटलागिंग पाद टिप्पणी एवं सारांश सहित, अनिर्धारित पाण्डुलिपियों का पृथककरण, डिजिटाईजेशन, पाण्डुलिपियों को रखने हेतु बुककेश / काम्पैक्टर क्रय तथा पाण्डुलिपियों, पत्र-पत्रिकाओं एवं किताबों का अधिग्रहण, वेबसाइट प्रबंधन, पुस्तक क्रय, बाईडिंग आदि सम्मिलित है।	
पांडुलिपि एवं संग्रहालय कलाकृतियों का संरक्षण एवं डिजिटाईजेशन	संस्थान में संगृहीत 30000 ग्रंथो में लगभग 2 करोड ग्रंथ पृष्ठ हैं। जिसमे से 30000 से 40000 फोलियो का प्रिवेंटिव तथा 4000 से 5000 फोलियों का क्यूरेटिव संरक्षण तथा 10000 ग्रंथ पत्रकों के धूमीकरण का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा और संगृहीत समस्त ग्रन्थ का नियमित रखरखाव किए जाने हेतु आवश्यक रसायन, टिश्यू पेपर, हैण्डमेड पेपर, अम्ल रहित बोर्ड, वेस्टन (कोथली) आदि का क्रय कार्य के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही संस्थान की ग्रंथ संरक्षण प्रयोगशाला हेतु नवीन उपकरण एवं यंत्रों का क्रय भी किया जाना है।	रू0 6.00 लाख
ब्रज संस्कृति संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह	ब्रज संस्कृति संग्रहालय में मूर्ति, दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ एवं पेंटिंग को छह गैलरियों में प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय की 6 वीथिकाओं के रखरखाव, संग्रहालय की सुरक्षा से संबंधित उपकरणों का क्रय, संग्रहालय की कलाकृतियों एवं पुरा सामग्री, सिक्कों की कैटलॉगिंग, संग्रहालय का प्रचार-प्रसार, संग्रहालय की कलाकृतियों को आनलाइन करने प्रेक्षागृह के रखरखाव आदि कार्य इस मद में सम्मिलित हैं।	रू0 8.00 लाख
सेमीनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी एवं व्याख्यान	इस मद के अन्तर्गत व्याख्यानों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनी साहित्यिक संगोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित है। संस्थान के ब्रज संस्कृति संग्रहालय, पाण्डुलिपि ग्रंथागार, संदर्भ पुस्तकालय एवं संरक्षण विभागों द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएँ / प्रतियोगिताएँ भी इसी मद से आयोजित की जाती हैं।	रू0 7.00 लाख
कार्यालय व्यय एवं विद्युत बिल	इस मद में आवश्यक व्यय की प्रतिपूति जिसके अन्तर्गत- टेलीफोन एवं इण्टरनेट, स्टेशनरी, कम्प्यूटर-जीरॉक्स स्टेशनरी, इंक, प्रिंटिंग, डीजल-पेट्रोल, डाक व्यय, विद्युत सामग्री, यूनीफार्म, स्वागत सत्कार, मानदेय, प्रचार-प्रसार, शोधाश्रम का रखरखाव, मशीनों एवं उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत व वार्षिक अनुबंध, कर व किराया तथा ऑफिस के संचालन में होने वाले अन्य व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अन्तर्गत संस्थान के विद्युत बिल का भुगतान तथा संस्थान के पेयजल की पूर्ति हेतु स्थापित पम्पहाउस के बिल का व्यय इस मद में किया जाना प्रस्तावित है।	रू0 8.00 लाख
संस्थान का भवन रखरखाव	इस मद के अन्तर्गत संस्थान व ब्रज संस्कृति संग्रहालय के लॉन का रखरखाव, इलेक्ट्रिक फैन्स का रखरखाव, संग्रहालय भवन की रंगाई पुताई तथा अन्य सामान्य मरम्मत आदि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।	रू0 2.00 लाख
यात्रा व्यय	संस्थागत कार्यों से लखनऊ दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर की जाने वाली यात्राओं, संस्थान द्वारा आयोजित समारोह, संगोष्ठी एवं व्याख्यानों में आने वाले विद्वानों तथा शासी परिषद एवं अन्य बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को किए जाने वाले यात्रा व्ययों के भुगतान आदि का व्यय प्रस्तावित है।	रू0 2.00 लाख

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा का होगा।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(8) वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 2205001011200 वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन (मथुरा) को अनुदान- **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 197 /2026 / 2190 (1)/चार-2026-1712410 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन (मथुरा)।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।